

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी (म.प्र.)


// परिपत्र //

क्रमांक- 47 /दो-6-4 /2018

सीधी, दिनांक 26 अप्रैल, 2024

प्रायः यह पाया जाता है, कि स्थापना पर पदस्थ कुछ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण पान/गुटखा/तम्बाकू इत्यादि का सेवन अपने पदीय कर्तव्य के दौरान करते हुए न्यायालय परिसर में यत्र-तत्र थूकते हुए पाए जाते हैं, जिससे न्यायालय परिसर में गंदगी फैलती है। कर्मचारियों का उक्त कृत्य न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध है।

अतः न्यायालय परिसर की स्वच्छता बनाए रखने हेतु इस स्थापना पर पदस्थ समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि यदि वे अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान पान/गुटखा/तम्बाकू इत्यादि का सेवन कर कार्य करते हुए पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।


(संजीव पाण्डेय)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

सीधी (म0प्र0)


सीधी, दिनांक 26 अप्रैल, 2024

पृ. क्रमांक- 1469 /दो-6-4 /2018

प्रतिलिपि:-

1. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) सीधी,
2. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सीधी,
3. प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सीधी,
4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सीधी,
5. प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चुरहट,
6. व्यवहार न्यायाधीश/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड मझौली,
7. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड रामपुर नैकिन,
8. प्रभारी अधिकारी लेखा/सांख्यिकीय/नजारत/मालखाना/अभिलेखागार /ग्रंथालय/प्रतिलिपि/कम्प्यूटर/तलवाना अनुभाग सीधी,
9. प्रभारी अधिकारी नजारत/मालखाना/प्रतिलिपि अनुभाग मझौली/रामपुर नैकिन/चुरहट,
10. रीडर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी,
11. कार्यालय लेखापाल/सहायक लेखापाल सीधी,

.....की ओर उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को सूचित किये जाने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म0प्र0)